

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क/मंडी/प्रांगण/विविध/45/48/2/इंदौर/ 769  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/8/14

संयुक्त संचालक/उप संचालक  
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
आंचलिक कार्यालय .....(समस्त)

विषय :- मंडी प्रांगण में कृषि उपज के विक्रय के लिये आने वाले कृषकों की सुविधा के लिये संचालित भोजनालयों के व्यय हेतु अनुदान राशि विमुक्त करने बाबत।

संदर्भ :- लेखाधिकारी (लेखा) की अशासकीय टीप क/बोर्ड/लेखा/बजट/14/  
2115 दिनांक 26/08/14

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित अशासकीय टीप द्वारा लेख किया गया है कि मंडी प्रांगण में कृषि उपज के लिये आने वाले कृषकों की सुविधा के लिये संचालित भोजनालयों के व्यय हेतु अनुदान राशि विमुक्त करने के लिये भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से करने के निर्देश प्रबंध संचालक महोदय द्वारा दिए हैं। आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान करने के लिये मंडी समितियों की निम्न जानकारी अति आवश्यक है।

अतः भविष्य में मंडी समितियों को भुगतान कराने के लिये निम्न जानकारी के साथ ही प्रस्ताव अनुशंसा के साथ भेजा जायें।

सरल क्रमांक	मंडी समिति का नाम (जिस नाम से बैंक में खाता संचालित है)	बैंक का नाम एवं शाखा का नाम	बैंक का खाता नंबर	बैंक का आई. एफ.सी. कोड नंबर
1.	2.	3.	4.	5.

30/8/14  
अपर संचालक(प्रांगण)  
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल